न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 10/2018

अनवान

1. श्रीमति प्रेमकंवर बेवा भूरा दरोगा उम्र वयस्क निवासी लोटियास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... **वादी**

बनाम

..... **प्रतिवादी**

1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी..... वकील वादी**
पेरोकार सरकार......विपक्षी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आषय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 389 के आराजी संख्या 3312/1968 रकबा 03–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीया प्रेमकंवर पिता भूरा दरोगा के नाम से राजस्व रेकार्ड है। विवादित आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 1968 में से वादीया के नाम प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा के नाम से अलोटमेन्ट हुई थी, किन्तु ततपश्चात खुले नामान्तरकरण संख्या 1837 दिनांक 20.07.2006 से इसके नवीन नम्बरान 3312/1968 पड कर वादीया का नाम प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा के स्थान पर प्रेमकंवर पिता भुरा दरोगा के नाम से राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवष दर्ज कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीया वक्त अलोटमेन्ट से ही काबिज होकर काश्त एंव उपभोग उपयोग करती चली आ रही है। अतः वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा सा0 देह खातेदार के बजाय प्रेमकंवर पिता भुरा दरोगा को राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिकी सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 03–04–2018 को प्रतिवादी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र कि आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर, वाद वादीया स्वीकार किये जाने में अपनी और से कोई उजर नही होना सुनवाई के दौरान व्यक्त किया। ततपश्चात वादीया की शहादत्त में स्वंय वादीया व स्वतंत्र साक्ष्य के तौर पर रामदेव पिता छोगा बलाई निवासी लाम्बियाकंला, दिनेश पिता सुखा बलाई निवासी लाम्बियाकंला से जिरह सम्पादित की जाकर बयान कलमबद्ध किये गये, तथा पत्रावली को बहस अन्तिम चरण हेतु नियत किया गया। सुनवाई दिनांक 26.04.2018 को बहस वाद में सुनी गयी। बहस के दौरान वादीया के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा सा0 देह खातेदार के बजाय प्रेमकंवर पिता भुरा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

दरोगा को राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

3. पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी स्वतंत्र साक्ष्य स्वरूप कलमबद्ध बयानो के अध्ययन व वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन उपरान्त वादीया द्वारा वादपत्र के समर्थन में आधार कार्ड, साबिक व वर्तमान के तुल्नात्मक अध्ययन/परिक्षण से यह प्रमाणित होता है कि वादीया का वास्तविक नाम प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा है। तथा राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा के ईकबालिया हस्ताक्षर से भी इसका पुष्टिकरण होता है। लिहाजा वादीया का वाद पत्र सहमती से स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादीया का वादपत्र सहमति से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 389 के आराजी संख्या 3312/1968 रकबा 03—00 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम प्रेमकंवर पिता भुरा दरोगा के बजाय प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा सा.देह दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय/कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

..लय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

—::मूल वाद में अन्तिम डिकी::—

(आदेष 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

..ठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 10/2018

अनवान

1. श्रीमति प्रेमकंवर बेवा भूरा दरोगा उम्र वयस्क निवासी लोटियास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादीया

बनाम

1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— **श्री मुरारी जोशी..... वकील वादी**
पेरोकार सरकार......विपक्षी

दिनांकः— 26.04.2018

वादीया का वादपत्र सहमति से अन्तर्गत धारा 88—89—90—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 389 के आराजी संख्या 3312/1968 रकबा 03—00 बीघा का राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम प्रेमकंवर पिता भुरा दरोगा के स्थान पर प्रेमकंवर बेवा भुरा दरोगा सा.देह दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय / कार्यालय उप खण्ड अधिकारी • बनेड़ा (भीलवाड़ा)